

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

110(12)

पटना, दिनांक: 27/01/2023

विषय:- राज्य के राज्य के जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची- Essential Equipment List (EEL) अधिसूचित करने के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय आदेश सं० SHSB/PM/537/2019-1163, दिनांक 01.06.2020 द्वारा राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों यथा, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची - Essential Equipment List (EEL) विकसित करने हेतु निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार की अध्यक्षता में टेक्निकल कोर कमिटी गठित की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य में जिलान्तर्गत जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तारीकरण करने की दिशा में अथक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में मिशन मोड में कई कार्यों को फलीभूत किया गया है। इन सरकारी अस्पतालों में हर स्तर की विशेषज्ञ आधारित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य पारा चिकित्सा कर्मियों को पदस्थापित किया गया है। अतएव, इन विशेषज्ञों के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं को दृष्टिपथ में रखते हुये गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय प्रबंधन हेतु IPHS के मापदंडों के अनुरूप जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सकीय उपकरणों एवं उपस्करों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता राज्य स्तर द्वारा महसूस की गयी है।

3. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12/प०-विविध-08-73/2020-903(12), दिनांक 23.12.2020 'सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र' के लिए 'आवश्यक उपकरणों की सूची- Essential Equipment List' अधिसूचित किया गया है।

4. जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची- Essential Equipment List (EEL) तैयार करने हेतु निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवायें, बिहार की अध्यक्षता में टेक्निकल कोर कमिटी की बैठक दिनांक 13.09.2022 एवं 26.12.2022 तथा 23.01.2023 को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में IPHS Guidelines के तहत उपकरणों/उपस्करों एवं अन्य Consumables की सूची में अंकित सभी उपकरणों/उपस्करों पर टेक्निकल कोर कमिटी के सदस्यों द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त जिला अस्पताल के लिए 271 एवं अनुमंडलीय अस्पताल के लिए 227 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 107 प्रकार के आवश्यक उपकरणों/उपस्करों की सूची - Essential Equipments List (EEL) के रूप में अधिसूचित करने साथ कतिपय अनुशंसायें की गई हैं। उक्त अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं:-

- जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस को विभागवार श्रेणी में रखते हुये IPHS 2022 तथा उक्त संस्थानों में प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर उनके औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग को दृष्टिपथ में Essential Equipment List (EEL) को अधिसूचित किया जाता है।

- ii. आवश्यक उपकरणों की सूची- Essential Equipment List में सिर्फ उपकरणों एवं उपस्करों को रखा गया है। इस सूची में consumables items को नहीं रखा गया है। संस्थानवार consumables की सूची आवश्यक औषधियों की सूची- Essential Drugs List 2023 में समाहित है।
- iii. जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए अधिसूचित EEL में निहित उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस का दर-अनुबंध विहित प्रक्रियानुसार BMSICL द्वारा किया जायेगा। दर अनुबंध की सूचना सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य केन्द्र के उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को BMSICL द्वारा दी जायेगी एवं जिन उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस का दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नहीं रहेगा, वैसे उपकरणों के दर अनुबंध/क्रय हेतु BMSICL से अनापत्ति प्राप्त करते हुए वित्तीय नियमावली एवं विभागीय क्रय अनुदेशों का पालन करते हुए सिविल सर्जन द्वारा किया जायेगा। जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उन्हीं उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस की आपूर्ति BMSICL से अथवा जिला स्तर से स्थानीय क्रय के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अध्याचना करेंगे, जिन उपकरणों के उपयोग हेतु जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित हो और विशेषज्ञ आधारित चिकित्सकीय सेवाये मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही हो।
- iv. सिविल सर्जन जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से उनके स्वयं के स्तर पर रोगियों की पूर्व संख्या एवं संभावित संख्या तथा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं/विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं के आधार पर EEL में निहित उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस का Gap Analysis करवा कर अपेक्षित आवश्यकता की गणना करने के उपरान्त आवश्यकता आधारित उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस की आपूर्ति हेतु BMSICL को Equipment Management & Maintenance System (EMMS) के माध्यम से ऑनलाइन इन्डेन्ट करेंगे।
- v. क्रय संस्थान, BMSICL के द्वारा सूची में उल्लेखित उपकरणों/उपस्करों के प्रोक्योरमेंट (अधिप्राप्ति) के दौरान उसके Installation, Calibration, Validation, Training एवं Annual Maintenance Contract (AMC) या Comprehensive Maintenance Contract (CMC) का समुचित प्रावधान निविदा आमंत्रण सूचना (NIT), टेन्डर डॉक्यूमेंट एवं दर-अनुबंध (रेट कॉन्ट्रैक्ट) में करेंगे।
- vi. उक्त संस्थानों के लिए जिला से इन्डेन्ट के आधार पर BMSICL के स्तर से आपूरित उपकरणों अथवा जिलास्तर पर क्रय की गयी उपकरणों के विवरणी की प्रविष्टि Equipment Management & Maintenance System (EMMS) पर किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही, आपूरित सभी उपकरणों की भौतिक भंडार पंजी (Physical Stock Register) में समान रूप से प्रविष्टि अनिवार्य होगा।
- vii. उक्त संस्थानों में EEL के अनुरूप आपूरित उपकरणों की टैगिंग एवं मैपिंग का कार्य Bio Medical Equipment Maintenance Programme (BMMP) के तहत तत्क्षण ही करा लेने का दायित्व सिविल सर्जन, उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा अस्पताल प्रबंधक की समान रूप से होगी। इस हेतु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित है।

- viii. EEL की सूची में जिन उपकरणों/उपस्करों की विशिष्टता (Specification) का उल्लेख नहीं है अथवा किसी उपकरण/उपस्कर की विशिष्टता के संबंध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 870(12); दिनांक 08.10.2018 द्वारा अधिसूचित BMSICL के प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2018 (Manual for the Procurement of Drug and Medical Equipment-2018) की कंडिका 2.2 में यथा उल्लेखित Technical Specification Committee के द्वारा उपकरणों/उपस्करों की विशिष्टता (Specification) का निर्धारण करते हुये बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) द्वारा अधिप्राप्ति संबंधी समुचित प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
- ix. इस विभागीय संकल्प के साथ जिला अस्पताल के लिए 271 एवं अनुमंडलीय अस्पताल के लिए 227 तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 107 प्रकार के आवश्यक उपकरणों/उपस्करों की संलग्न [अनुसूची 'क', 'ख' एवं 'ग'] को Essential Equipments List (EEL) के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इस Essential Equipments List (EEL) के अनुरूप प्रत्येक जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपकरणों/उपस्करों/मेडिकल डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जनों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों को दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 110(12)-12/90-09-09/2020 पटना, दिनांक 27/01/2023

प्रतिलिपि- ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 110(12)-12/90-09-09/2020 पटना, दिनांक 27/01/2023

प्रतिलिपि-

- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- भारत के औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली/केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, FDA भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्राचार्य, अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को विभागीय/समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव